Inspira-Journal of Commerce, Economics & Computer Science (JCECS)
p-ISSN : 2395-7069 (Impact Factor : 2.0546) Volume 03, No. 02, April - June, 2017, pp. 318-321

दौसा केन्द्रीय सहकारी बैंक की कृषि ऋण प्रक्रिया का मूल्यांकन

प्रो. डी. आर. जाट*
रोहिताश लाल बैरवा**

प्रस्तावना

सामान्यतया किसी कार्य को करने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। किसी भी आर्थिक गतिविधि के सफल संचालन के लिए वित्त का विशिष्ट स्थान होता है। चाहे हम कृषि विकास की बात करें, औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने की सोचे या आधारभूत सुविधाओं के विकास एवं विस्तार के बारे में विचार करें। इन सबकी सफलता पर्याप्त मात्रा में वित्त की आपूर्ति पर निर्भर करती है। राजस्थान मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की लगभग 75 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में निवास करती है तथा साथ ही लगभग 58 प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अपनी आजीविका के लिये कृषि पर निर्भर करती है। इतना ही नहीं राज्य की आय का लगभग 38 प्रतिशत हिस्सा पिछले वर्षों से कृषि का रहा है तथा इस राज्य के लघु एवं कुटीर उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति कृषि से होती है। इससे स्पष्ट है कि इस गाँव प्रधान राज्य में कृषि आधारित लघु व कुटीर उद्योगों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। सही मायने में कृषि वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थव्यवस्था चक्कर लगाती है। वस्तुतः राजस्थान राज्य के सर्वांगीण विकास में कृषि, लघु एवं कुटीर उद्योग का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। अतः राज्य के विकास के लिए कृषि एवं लघु व कुटीर उद्योगों को सर्वोच्च स्थान देना होगा।

दौसा केन्द्रीय सहकारी बैंक सहकारी संस्थागत ढाँचे के मध्य स्तर की संस्था है जिसकी स्थापना राजस्थान सहकारी समितियाँ अधिनियम 2001 के प्रावधानों के अन्तर्गत 19 फरवरी 2004 को की गई है। यह जिले में सहकारी आन्दोलन के विकास हेतु कार्यरत है। यह बैंक जिले में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से सहकारी ऋण वितरण का कार्य कर रही है। केन्द्रीय सहकारी बैंक की नौ शाखायें जिले के विभिन्न तहसील मुख्यालयों पर कार्यरत है जो समस्त ग्राम सेवा सहकारी समितियों का नियन्त्रण एवं संचालन कर रही है। सामान्यतः सहकारी बैंक द्वारा इन समितियों को अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस बैंक द्वारा कृषि एवं गैर कृषि दोनों ही कार्यों के लिए ऋण वितरण प्रदान किया जाता है। कृषि ऋण का वितरण ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से तथा गैर–कृषि ऋण सीधे बैंक द्वारा प्रदान किया जाता है।

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य केन्द्रीय सहकारी बैंकों की ऋण प्रक्रिया का अवलोकन करना है। इस अध्ययन के प्राथमिक एवं द्वितीय समंकों का प्रयोग किया गया है।

ऋण देने की अवधि

अल्पकालीन ऋण देने की अवधि सामान्यतः एक वर्ष होती है तथा मध्यमकालीन ऋण दो से पाँच वर्ष के लिए दिया जाता है। जब बैंक द्वारा या समितियों के माध्यम से किसानों को उनकी आवश्यकता के समय ऋण उपलब्ध कराया जाता है। जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है कि प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समिति की ऋण सीमा बैंक द्वारा प्रत्येक एक फसल के लिए निर्धारित कर दी जाती है तथा इस सीमा के अन्तर्गत ही विभिन्न कृषकों को खरीब एवं रबी फसल के लिए फसली ऋण स्वीकृत किया जाता है। सामान्यतः किसानों को कृषि कार्य के लिए वर्ष में दो (2) बार कृषि ऋण की आवश्यकता होती है। खरीब की फसल के लिए और रबी की फसल के लिए बैंक की नीतियों के अनुसार खरीब की फसल के लिए किसानों को प्रति वर्ष 31 मार्च से लेकर 31 अगस्त तक ऋण वितरण किया जाता है ताकि किसान खरीब की फसल से सम्बन्धित अपनी आवश्यकताओं की पूति कर सकें। इसी प्रकार रबी की फसल

* पूर्व विभागाध्यक्ष, ई.ए.एफ.एम. विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान।
** शोद्यार्थी, ई.ए.एफ.एम. विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान।